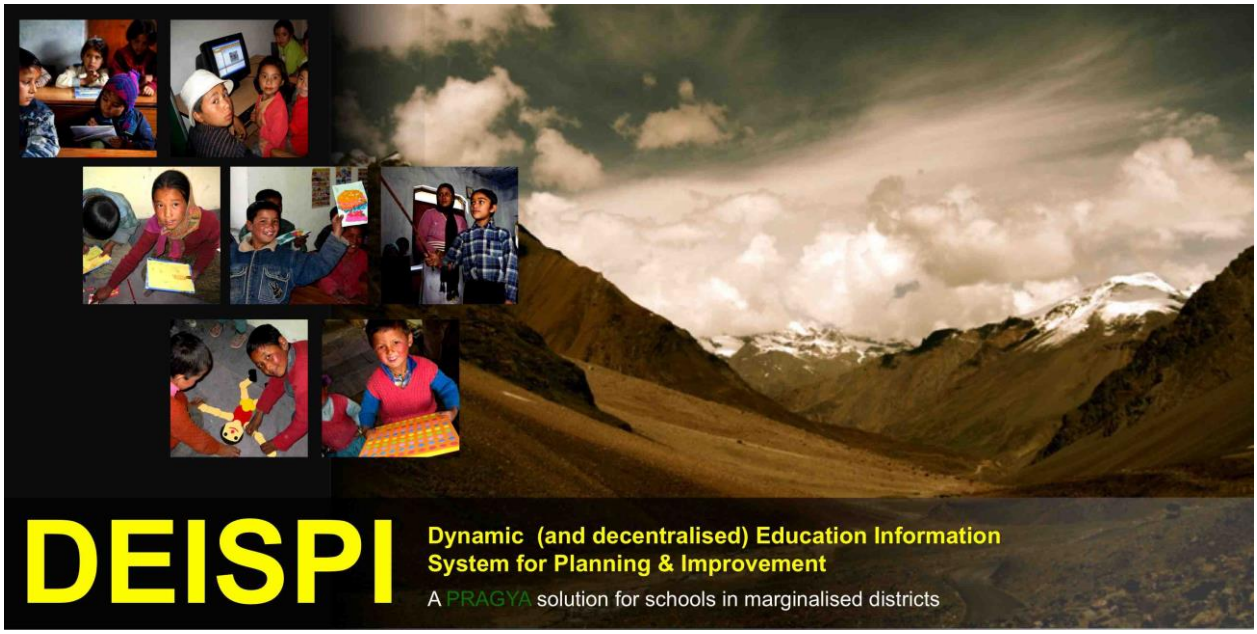

नियमावली

PRAGYA

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

World Vision

Australian AID

परिचय

प्रस्तुत नियमावली प्रज्ञा (www.pragya.org) द्वारा संयोजित की गयी है जो की संवेदनशील परितंत्र एवं अतिसंवेदनशील समुदायों के उत्थान हेतु एक लाभ-निरपेक्ष संस्था है।

भारत के जनजातीय/ सीमान्त/ पर्वतीय एवं वन्य जिले प्रायः अपने प्रशासनिक केंद्र से दूरी एवं अपर्याप्त व्यवस्थाओं के कारण राष्ट्रीय शिक्षा अभियानों के उद्देश्य की पूर्ती के मार्ग में कठिन चुनौती साबित होते हैं। हालाँकि ज़्यादातर बच्चे अब विद्यालय जाने लगे हैं, परन्तु ऐसे कितने छात्र हैं जो अपने समुदायों में अर्थपूर्ण भागीदारी निभाने हेतु उचित शिक्षा से सशक्त हैं? प्रारम्भिक काल में बच्चो को दी जाने वाली शिक्षा तथा शिक्षण पद्धतियां कितनी उपयुक्त अथवा छात्रहित में है?

प्रज्ञा को ऐसे सुदूर एवं प्रभावविहीन क्षेत्रों में काम करने का बहुत अच्छा पढने का स्तर अनुभव है। इस सम्बन्ध में प्रज्ञा ने क्षेत्र-विशेष, किफायती एवं सामुदायिक प्रणाली, DEISPI का अनुबंधन किया है जिससे शिक्षा सम्बंधित आंकड़ों का संकलन एवं जांच किया जा सके| यह प्रणाली शिक्षण के निम्न ३ आयामों से आंकड़ों का संकलन करती है - छात्रों के पढने का स्तर, शिक्षण गुणवत्ता तथा विद्यालय संचलान । छात्र समितियां, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक-शिक्षक संघ और क्षेत्रीय युवाओं (पद-निरीक्षक) को आंकड़ों के संकलन का प्रशिक्षण दिया जाता है; फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण कर उनका प्रयोग क्षेत्र-विशेष योजनाओं तथा विद्यालय/शिक्षक/छात्र विशेष सुधार/प्रगति के लिए किया जाता है|

DEISPI प्रणाली का प्रयोग - 11 जिलों के ३३0 विद्यालयों में किया जा रहा है। इस प्रणाली की रचना 135 जिलों के शिक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से हुई है।

DEISPI की महत्व:

DEISPI के उपयोग निम्न हैं:

- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) के विद्यार्थियों में साक्षरता, बौद्धिक, संख्यात्मक तथा सामाजिक/भावनात्मक योग्यता के आंकड़ों का निरंतर संकलन एवं विश्लेषण कर उनके सीखने में किसी कमी का शीघ्र एवं सुगम तरीकों से पता लगाना।
- प्रत्येक शिक्षक के शिक्षण के गुणवत्ता का मूल्यांकन कर उनकी कमियों को समझते हुए उनके सुधार और विकास में सहयोग करना|
- विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन के प्रभाव का मूल्यांकन कर सुधारात्मक सुझाव देना|

यह सरल प्रक्रिया छात्रों के पढाई में कमज़ोर होने, उनके अपर्याप्त पठन योग्यता, शिक्षण की गुणवत्ता में कमी तथा अनुचित विद्यालय प्रबंधन के कारणों का पता लगाने में मदद करती है। सहकर्मियों के साथ कंधे-से-कंधा मिला कर "शिक्षा-संवादों एवं विवेचनाओं" में भागीदारी से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सम्भव है।

भागीदारी

इस प्रणाली के भागीदार निम्न हैं:

VEC – Village Education Committee (ग्राम शिक्षा समिति) / SMC – School Management Committee (विद्यालय प्रबंधन समिति)

BFM – Barefoot Monitors (पद-निरीक्षक)

RCT - Reading Challenge Team (निरीक्षण दल)

- **छात्र:** सहयोगी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1-5 के सभी छात्र DEISPI में भाग लेंगे |

भागीदारी -

– दस्तावेज में जानकारी भरने में सहयोग (नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों की जानकारी आदि)।
– छात्रों के विकास हेतु DEISPI में भाग लेना।
– छात्र समिति में चयनित होने पर, शिक्षकों के शिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर VEC /SMC को सुझाव देना।

- **शिक्षक :** कक्षा 1-5 तक पढने वाले सभी शिक्षकों को छात्र विकास आंकलन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। फिर शिक्षकों के शिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जायेगा ।

भागीदारी -

- प्रालेख/ दस्तावेज में जानकारी भरने में सहयोग (नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों की जानकारी आदि)
- DEISPI द्वारा उपलब्ध कराये साधनों का प्रयोग कर छात्रों के विकास में सहयोग। आंकलन के नतीजों को पद-निरीक्षक के पास जमा करना तथा इस प्रक्रिया का ३ महीनों तक पालन करना।
- यदि शिक्षक VEC /SMC के सदस्य हैं तो विद्यालय के संचालन और प्रबंधन के आंकलन में हिस्सा लेना।
- प्राप्त सुझावों को सहजता से समझना तथा शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के प्रयास में आवश्यक कदम उठाना ।

ग्राम शिक्षा समिति (VEC) / विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) / अभिभावक-शिक्षक समिति (PTA): SMC में 75% भागीदारी अभिभावकों की होती है; शेष 25% में एक तिहाई भागीदारी चयनित क्षेत्रीय अधिकारी, एक तिहाई शिक्षक तथा बाकि तिहाई क्षेत्रीय शिक्षा कर्मियों की होती है। छात्र समिति द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का नियंत्रण इसी समिति द्वारा किया जाता है जो की फिर पद-निरीक्षकों को सौंप दिया जाता है। इनकी भागीदारी विद्यालय के संचालन तथा प्रभंधन के मूल्यांकन में भी होती है।

भागीदारी -

- दस्तावेज में जानकारी भरने में सहयोग (नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों की जानकारी आदि)
- DEISPI साधनो द्वारा छात्रों से विमर्श कर शिक्षकों के शिक्षण गुणवत्ता का आंकलन करना तथा प्राप्त आंकड़ों एवं जानकारियों को पद-निरीक्षकों को सौंपना। इस प्रक्रिया का ३ महीने तक पालन करना।
- पद-निरीक्षकों द्वारा संचालित विद्यालय संचालन तथा प्रबंधन के आंकलन में भाग लेना।
- प्राप्त सुझावों को सहजता से समझना तथा विद्यालय के संचालन को ओर अच्छा बनाने के लिये ।

पद-निरीक्षक (BFM): गावों के शिक्षित एवं प्रेरित युवा BFM के भाग होते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यालय के लिए एक पद-निरीक्षक नियुक्त होता है। वे विद्यालय के संचालन एवं प्रबंधन के आंकलन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ये सभी आंकड़ों का संकलन कर (शिक्षकों द्वारा दिए छात्र विकास के आंकड़े, शिक्षण गुणवत्ता के आंकड़े) नियुक्त संसाधन केंद्र को सौंपने का कार्य करते हैं।

भागीदारी -

- प्रालेख/ दस्तावेज में ब्यौरा जानकारी भरने में सहयोग (नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों / की जानकारी आदि)
- DEISPI के साधनों का प्रयोग कर विद्यालय के संचालन एवं प्रबंधन का आंकलन करना तथा इस प्रक्रिया का ३ महीने तक पालन करना।
- तीन प्रकार के प्रारूपों (छात्र विकास आंकलन प्रारूप, शिक्षण पद्धति गुणवत्ता आंकलन तथा विद्यालय संचालन व प्रबंधन आंकलन) को जिले के संसाधन केंद्र को सौंपना ।
- गाँव व जिले स्तर पर चर्चा में भाग लेना ।

निरीक्षण दल (RCT): प्रत्येक जिले में 10 सदस्यों का RCT की भूमिका के लिए चयन किया जायेगा। शिक्षति व प्रेरित सदस्यों का ये दल सभी आंकड़ों को DEISPI संसाधन केंद्र के डेटाबेस (कोष) में भरने का कार्य करेगा। आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारियों को राज्य के सम्बंधित विभागों तक पहुँचाना तथा गांव और विद्यालय को उचित सुझाव देगा।

भागीदारी -

- प्रालेख/ दस्तावेज में जानकारी भरने में सहयोग (नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों की जानकारी आदि)

- जिले के सभी विद्यालयों के आंकड़ों को भरने व विश्लेषण की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण।
- विश्लेषण के आधार पर राज्य के सम्बंधित विभागों तथा विद्यालयों को सुझाव देना।
- जिला-स्तर पर कार्यक्रमों में भाग लेना तथा आयोजन करना और आवश्यक बदलाव पर चर्चा करना।

DEISPI की कार्यप्रणाली

STEP 1 - आंकलन

कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यालय, छात्र एवं शिक्षको के विषय में आवश्यक जानकारी का संकलन करना; और इसके बाद छात्रों के विकास का आंकलन (शिक्षकों द्वारा), शिक्षण पद्धति गुणवत्ता (VEC/SMC द्वारा - छात्र समिति के सुझाव पर आधारित) तथा विद्यालय संचालन का आंकलन (नियुक्त पद-निरीक्षक द्वारा VEC/SMC के चर्चा से संकलित) का संकलन करना। सभी जानकारी तथा आंकड़ों का त्रैमासिक संकलन और पद-निरीकेशकों द्वारा जिले के निर्धारित संसाधन केंद्र में जमा कराना।

STEP 2 - विश्लेषण

संकलित आंकड़े तथा जानकारी को DEISPI के सॉफ्टवेयर में भर कर संसाधन केंद्र में जमा किया जाता है। जिले स्तर पर जानकारी का कंप्यूटर में भरना तथा आंकड़ो का विश्लेषण निरीक्षण दल (RCT) की निगरानी में होता है।

STEP 3 - प्रतिपुष्टि एवं प्रतिपालन

परिणामों के आधार पर विद्यालयों को उपयुक्त सुझाव भेजना और राज्य के निर्धारित विभागों के साथ प्रतिपालन व संवाद स्थापित करना। ग्राम स्तर पर बैठकों का आयोजन कर सुधार हेतु सुझावो की चर्चा करनाजिले स्तर पर वार्षिक "शिक्षा संवादों " का आयोजन कर सबके अनुभवो के आधार पर सभी विद्यालयों के सुधार की योजनाये बनाना।

STEP 4 - क्षेत्रीय कार्यवाही

क्षेत्रीय स्तर पर सुधार प्रक्रिया VEC/SMC तथा शिक्षकों की जिम्मेवारी है। जिले स्तर पर यह पहलकदमी RCT द्वारा होती है जहाँ राज्यस्तरीय विभाग भी शिक्षा स्तर, शिक्षण गुणवत्ता तथा बेहतर विद्यालय प्रबंधन हेतु सहयोग कर सकते हैं।

पूरी प्रक्रिया नीचे दिए चित्र में दी गयी हैं।

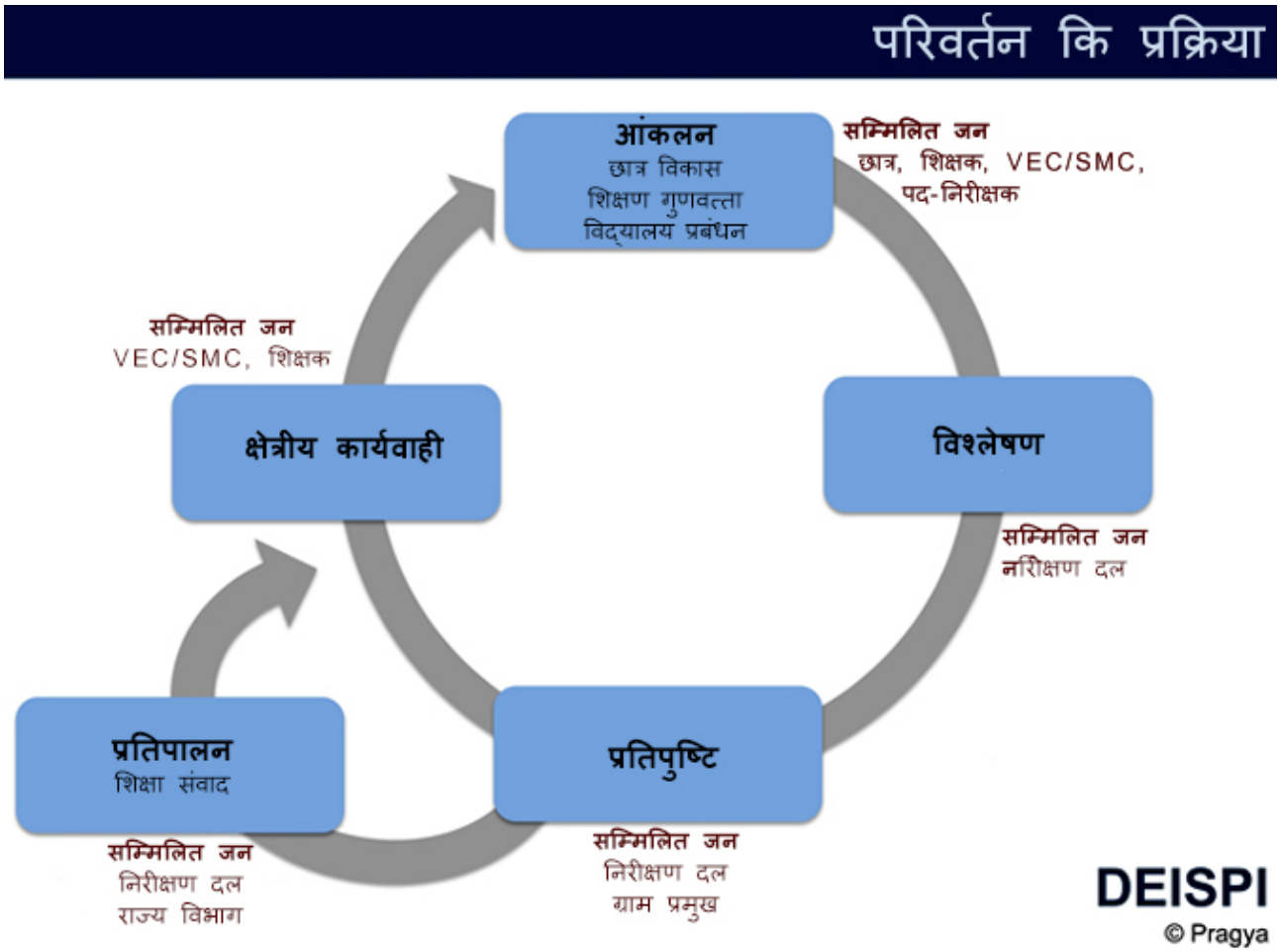

मापदंड:

छात्र विकास आंकलन

आवृत्ति	त्रैमासिक
द्वारा	शिक्षक
संसाधन केंद्र को सौंपने की ज़िम्मेदारी	पद-निरीक्षक
विश्लेषण	निरीक्षण दल, DEISPI साधनों के मदद से
प्रतिपुष्टि प्रक्रिया	निरीक्षण दल का VEC/SMC के साथ संवाद, VEC/SMC सदस्यों द्वारा छात्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के साथ सुझावों पर चर्चा

दिशा निर्देश

- यह प्रक्रिया शिक्षकों द्वारा पूरी की जायेगी। शिक्षकों को कक्षानुसार आंकलन पत्र एवं प्रश्नावली उपलब्ध कराई जायगी।
- कक्षा 1-5 के विद्यार्थियों का आंकलन उनके पूर्व कक्षा के बुनियादी ज्ञान के आधार पर होगा।
- प्रत्येक आंकलन की समय सीमा आंकलन पत्र तथा प्रश्नावली पर अंकित है; शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है।
- सभी आंकलनों के पूरा होने के बाद, शिक्षक नियमानुसार अंक देंगे और अंततः मूल्यांकन करेंगे।
- फिर सभी अंक पत्र पद-निरीक्षकों को सौंप दिए जायेंगे।

इस विस्तृत आंकलन द्वारा छात्रों को निम्नलिखित मापदंडों पर मूल्यांकन किया जाएगा -

- बुनियादी साक्षरता
- बुनियादी गणना कुशलता
- बुनियादी बौद्धिक कुशलता
- व्यवहारिक विकास

निम्न सारिणी में कक्षानुसार प्रयोग किये जाने वाले मापदंड संक्षेप में दिए गए हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया आंकलन प्रारूप को पढ़ें।

बुनियादी साक्षरता आंकलन

कक्षा 1

मापदंड	**उदाहरण**
अक्षर-नाम ज्ञान	**अक्षर-नाम ज्ञान** कार्य - दिए गए अक्रमशः 50 अक्षरों में से कम से कम 10 अक्षर पहचानना (छोटे और बड़े अक्षरों का मिश्रण)
स्वनिमिक जागरूकता	
परिचित शब्दों का पठन	
अपरिचित शब्दों का पठन	

कक्षा 22

मापदंड	**उदाहरण**
स्वनिमिक जागरूकता	अपरिचित शब्दों का पठन कार्य – दिए गए 20 अपरिचित शब्दों में से 5 अपरिचित शब्दों को पढ़ना
परिचित शब्द पढ़ना	
अपरिचित शब्द पढ़ना	
वाक्य पढ़ना	
श्रुतलेख	
श्रवण बोध	

कक्षा 3

मापदंड	**उदाहरण**
स्वनिमिक जागरूकता	**श्रुतलेख** कार्य - श्रुतलेख अभ्यास के 10 शब्दों में से कम से कम 5 शब्द लिखना (तीन अक्षर के शब्द)
परिचित शब्द पढ़ना	
अपरिचित शब्द पढ़ना	
वाक्य पढ़ना	
श्रुतलेख	
श्रवण बोध	

कक्षा 4

मापदंड	**उदाहरण**
पठन वाचन में सहजता	**श्रवण बोध** कार्य - प्रश्नावली के प्रशासक द्वारा पढ़े जाने वाले वाक्यों पर पांच साधारण (शाब्दिक एवं व्याख्यिक) प्रश्न पूछें
पाठ्य बोध	
श्रवण बोध	
श्रुतलेख	

कक्षा 5:

मापदंड	**उदाहरण**
पठन वाचन में सहजता	पठन वाचन में सहजता कार्य - चार से पांच वाक्यों का अनुच्छेद पढ़ना
पाठ्य बोध	
श्रवण बोध	
श्रुतलेख/इमला	

बुनियादी गणना कुशलता

कक्षा 1:

मापदंड	उदाहरण
मौखिक गणना (1-10)	**मौखिक गणना** कार्य - छात्रों से 1-10 तक गणना करवाएं
संख्या की पहचान (0-10)	
मात्रा में भेद करना	
लुप्त संख्या	

कक्षा 2:

मापदंड	उदाहरण
संख्या की पहचान (1-100)	**लुप्त संख्या** कार्य - छात्रों को चार अंकों वाली पांच अंकगणिक श्रृंखलाएं दें, फिर एक संख्या निकाल कर छात्रों से लुप्त संख्या पहचानने को कहें
लुप्त संख्या	
जोड़	
घटाना	
वस्तुओं का आकार और नाप के आधार पर भेद करना	

कक्षा 3:

मापदंड	उदाहरण
संख्या की पहचान (0-99)	**संख्या की पहचान (0-99)** कार्य - 99 तक संख्यों को लिखना और पढ़ना
संख्या भेद	
जोड़	
घटाना	
वस्तुओं का आकार और नाप के आधार पर भेद करना	
मानसिक गणित	

कक्षा 4:

मापदंड	उदाहरण
संख्या की पहचान (0-1000)	**संख्या भेद** कार्य - अक्रमशः तीन अंकों के पांच समूह दें; जिनमें छात्रों को सभी समूहों के तीन अंकों को इस्तेमाल कर अधिकतम और न्यूनतम संख्या बनानी होगी
संख्या भेद	
जोड़ एवं घटाना (व्याख्यिक प्रश्न)	
गुणा	
द्विआयामी आकारों के गुण	
मानसिक अंकगणित	
माप (वस्तुओं की लम्बाई)	

कक्षा 5:

मापदंड	उदाहरण
गुणा	**नपे-तुले द्विआयामी आकारों के चित्र बनाना** कार्य - छात्रों को वृत्त के 1 त्रिज्या और 2 व्यास के माप दें; फिर उन्हें प्रकार की सहायता से ३ वृत्त बनाने को कहें
भाग	
भिन्न संख्या	
नपे-तुले द्विआयामी आकारों के चित्र बनाना	
मानसिक अंकगणित	
माप (लम्बाई, वजन, घन)	

बुनियादी बौद्धिक कुशलता

कक्षा 1-5 के सभी छात्रों की बुनियादी बौद्धिक एवं विचार कुशलता का आंकलन निम्न ४ कुशलताओं के आधार पर होगा|

मापदंड	उदाहरण
स्मृति	**प्रयोग (कक्षा 5)** कार्य - एक वर्ग या आयत का चित्र दिखा कर छात्र से पूछें की चित्र को चार सामान भागों में कैसे कटा जा सकता है।
समझदारी	
प्रयोग	
विश्लेषण	

व्यवहारिक विकास

यह आंकलन प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को उनके समाजिक व विकास कुशलता तथा भावनात्मक परिपक्वता को वर्गीकृत करेगा। 1-5 तक सभी कक्षाओं के छात्रो का एक जैसे मापदंडों तथा प्रश्नावली के आधार पर आंकलन किया जायेगा। निम्न सारिणी में उन मापदंडों के दो वर्गों का संक्षेप वर्णन किया गया है -

समाजिक व विकास कुशलता	भावनात्मक परिपक्वता
साधारण सामाजिक योग्यता	सामाजिक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार
उत्तरदायित्व व सम्मान	अतिसक्रियता तथा अल्प ध्यान अवधि
शिक्षकों के प्रति रवैया	व्याकुलता व भय
सहपाठियों के प्रति रवैया	आक्रामक व्यवहार
अधिगम शैली	प्रभावशाली वार्ता
नवीन खोज के प्रति उत्सुकता	भावनाओं का संतुलन

सभी कक्षाओं के सभी कुशलताओं के मूल्यांकन, प्रश्नावली और मापदंडों की व्याख्या इसी नियमावली के साथ दी जायेगी।

शैक्षिकगुणवत्ता आंकलन

आवृति	त्रैमासिक (प्रति तीन मास)
संचालन की प्रक्रिया	VEC/SMC द्वारा छात्र समिति की प्रतिपुष्टि की सहायता से
संसाधन केंद्र को सौंपने की ज़िम्मेदारी	पद-निरीक्षक

विश्लेषण/ जांच	निरीक्षण दल, DEISPI साधनों के मदद से
सुझाव प्रक्रिया	निरीक्षण दल का VEC/SMC के साथ संवाद, VEC/SMC सदस्यों द्वारा शिक्षकों के साथ सुझावों पर चर्चा

दिशा निर्देश

- शिक्षकों की योग्यता, गुण और कमियां समझने के लिए प्रत्येक शिक्षक के शैक्षि कगुणवत्ता का आंकलन कर व्यक्तिगत प्रशिक्षण की ज़रूरतों को समझते हुए उन्हें केंद्रित सुझाव दिए जायेंगे जिनसे उनका व्यवसायिक विकास हो सके।
- शिक्षकों का आंकलन प्रति ३ मास में होगा।
- शिक्षकों की संख्या के आधार पर VEC/SMC को आंकलन पात्र तथा प्रशावली दी जाएँगी
- छात्र समिति के जवाबों के आधार पर VEC/SMC के सदस्य या आंकलन करेंगे। प्रश्नावली के भरे जाने के बाद वे नियमानुसार अंक प्रदायित करेंगे तथा प्रत्येक शिक्षक के कुल अंक जोड़ेंगे ।सभी अंक पत्रों को तब विद्यालय पर नियुक्त पद-निरीक्षकों को सौंप दिया जायगा

शिक्षकों का यह मूल्यांकन निम्न मापदंडों पर आधारित है:

1. सकारात्मक शिक्षण वातावरण
2. विषय ज्ञान
3. शैक्षिक स्पष्टता
4. छात्र आंकलन के जानकारी के आधार पर प्रशिक्षण विधि का विश्लेषण तथा सुधार
5. अभिभावक तथा समुदाय के साथ चर्चा व सहयोग

	मापदंड
सकारात्मक शिक्षण वातावरण	छात्र महसूस करते हैं की शिक्षक उनकी अच्छी देखभाल करते हैं और सकारात्मकता व अपनत्व अनुभव करते हैं
	कक्षा में परस्पर सम्मान व विनोद का वातावरण है
	शिक्षक छात्रों को निष्क्रिय सीखने के पात्र की बजाय शिक्षा में सहभागी समझते हैं
	समय का सही इस्तेमाल तथा अच्छी पढ़ाने की विधिमल्टी-मीडिया जैसे रचनात्मक पढ़ाने की विधि , दृश्य संसाधन, अध्ययन यात्रा तथा अन्य नयी विधियों का उपयोग
	कक्षाओं में पर्याप्त आवश्यक पढ़ाने के साधन व संसाधन तथा तथा उनका उपयोग करने के लिए छात्रो और शिक्षको को आसानी
	कक्षा में सांस्कृतिक, लैंगिक, बौद्धिक व शारीरिक भेदों के प्रति संवेदनशील व्यवहार
	कक्षा में शिष्टाचार व उचित व्यवहार पर नियंत्रण
	छात्रों को गहराई तक सोचने व प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन देना। प्रश्नोत्तर व चर्चा के तकनीकों का उपयोग करना
विषय ज्ञान	विषय व शैक्षिक भाषा का ज्ञान

	विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थपूर्ण व सरल बनाए हेतु शैक्षणिक विषयों की समझ
	छात्रों को विषय में दिलचस्पी दिलने की योग्यता
अनुदेश स्पष्टता	शिक्षक का विषय के उद्देश्य, क्रियाएँ व पाठों को स्पष्ट रूप से समझाना
	विचारों एवं निर्देशों को सरल व प्रभावशाली रूप से समझा पाना। निर्देशों को छात्रों के लिए रुचिकर, प्रेरक व प्रासंगिक बना पाना
	जानकारियों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना व पाठ्यक्रमों को सरल बनाना
	प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों को समझना और उसी हिसाब से अपने पढ़ाने के तरीके को बदलना
	कक्षा के अंत में संदेहों पर/ चर्चा, पाठ को दोहराना व संक्षिप्त व्याख्या करना
	शिक्षक छात्रों को कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
छात्र आंकलन के जानकारी के आधार पर शैक्षिक विधि का विश्लेषण तथा सुधार	आंकलन का प्रभावकारी उपयोग
	आंकलन से मिली जानकारी के आधार पर शिक्षा में सुधार
	व्यक्तिगत व कक्षा की शिक्षा के लिए प्रभावी निर्देशों का प्रयोग
	छात्रों के विकास के हेतु चर्चा में भाग लेना व सम्बंधित लेखों की देखरेख करना
अभिभावक तथा समुदाय के साथ चर्चा व सहयोग	छात्रों के आंकलन व अन्य प्रमाण की सही देखरेख करना
	विद्यालय समुदाय में छात्र के विकास की परिचर्चा
	अभिभावकों से छात्रके विकास की चर्चा

शिक्षकों को सभी मूल्यांकन, प्रश्नावली और मापदंडों की व्याख्या इसी नियमावली के साथ दी जायेगी

विद्यालय संचालन व प्रबंधन आंकलन

आवृति	त्रैमासिक
संचालन की प्रक्रिया	VEC/SMC की प्रतिपुष्टि के आधार पर पद-निरीक्षकों द्वारा
संसाधन केंद्र को सौंपने की ज़िम्मेदारी	पद-निरीक्षक
विश्लेषण/ जांच	निरीक्षण दल, DEISPI साधनों की सहायता से
सुझाव प्रक्रिया	VEC/SMC के साथ निरीक्षण दल की चर्चा

दिशा निर्देश

- विद्यालय के संचालन व प्रबंधन के प्रभावकारिता का आंकलन तथा मूल्यांकन बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, सुविधाओं, शिक्षण सम्बन्धी संसाधनो की उपलब्धता, शिक्षण प्रभावकारिता आदि में ज़रूरी सुधार को उजागर करने के लिए किया जायेगा|
- विद्यालय की सुविधाओं की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे, प्रशासन व विद्यालय के संसाधनों का प्रबंधन, इत्यादि सब की जांच की जाएगी जो की विद्यालय स्तर पर पायी गयी कमियों को दर्शाने में सहायक होगा. इसके बाद इन कमियों को पूरा करने के लिए उचित संसधानों/ के सुझाव दिए जायेंगे
- विद्यालय पर नियुक्त किये गए पद-निरीक्षक (BFM) को प्रशनवाली दी जायेगी

- पद-निरीक्षक SMC के सदस्यों तथा विद्यालय के प्राचार्य के साथ बैठक कर प्रश्नावली भरेंगे
- प्रश्नावली के कुछ प्रश्न/मापदंड पद निरीक्षक के द्वारा देखि गयी परिस्थिति के आधार पर स्वयं भर सकते हैं
- प्रश्नावली पूरा भरे जाने के बाद पद-निरीक्षक निर्देशानुसार कुल की गणना करेंगे; यह प्राप्तांक फिर प्रत्येक विद्यालय को दिया जायेगा
- पूरी तरेह से अंकित की गयी प्रश्नावलीविद्यालय पे नियुक्त पद-निरीक्षक द्वारा निरीक्षण दल को सौंप दिए जायेंगे

यह विस्तृत आंकलन निम्न मापदंडों के आधार पर किया जायेगा:

1. भौतिक संरचना
2. मानव संसाधन व प्रणालियां
3. शिक्षण सामग्री व सहायक साधन
4. पाठयक्रम के अतिरिक्त गतिविधियां
5. विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) का आंकलन
6. विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों (CWSN) के प्रति विद्यालय प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

विद्यालय संचालन व प्रबंधन की गुणवत्ता के आंकलन के सभी मापदंडों का संक्षिप्त वर्णन निम्न है:

	मापदंड
भौतिक संरचना	कक्षा
	पीने लायक पानी की सुविधा
	शौचालय
	बिजली की व्यवस्था
	चिकित्सा की सुविधा
	पुस्तकालय
	प्रयोगशाला (कंप्यूटर/विज्ञानं)
	रसोई घर
	शिक्षक/कर्मचारी कक्ष
	प्रेक्षागृह / सार्वजनिक / पाठयक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों के लिए कक्ष
	खेलमैदान
मानव संसाधन व प्रणालियां	प्रधानाध्यापक व शिक्षक
	प्रशासनिक व साधारण कर्मचारी
	शिकायत निवारण की व्यवस्था
	मनोवैज्ञानिक सहायता
	विद्यालय के संचालन के मूल्यांकन के मापदंड
शिक्षण सामग्री व सहायक साधन	गणित व विज्ञान
	अंग्रेजी/हिंदी/अन्य अधिकारिक भाषाएं
	देखने और सुनने के उपकरण
पाठयक्रम के अतिरिक्त गतिविधियां	संगीत, नृत्य, नाट्य
	स्केचिंग, चित्रकला व शिल्प
	वाद-विवाद व एक्सटेम्पोर

	कविता व निबंध लेखन
	बाहरी खेल
	भीतरी खेल
विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) का आंकलन	विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक
	सदस्यों के भागीदारी का स्तर
	SMC की बनावट, अधिकार व दायित्व
	अन्य आंकलन मापदंड
विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों (CWSN) के प्रति विद्यालय प्रबंधन की ज़िम्मेदारी	ब्रैल किताबें, किट, श्रवण साधन, बैसाखियां व व्हीलचेयर की उपलब्धता
	CWSN हेतु गैर सरकारी संगठन/सरकारी विद्यालयों के साथ सम्बन्ध
	CWSN के लिए प्रशिक्षित शिक्षक व किसी भी प्रकार का मानसिक-सामाजिक सहयोग
	सुलभता, विकल्पों की वयवस्था तथा निरंतर निरीक्षण व और मूल्यांकन की उपस्थिति

जानकारी का उपयोग

जानकारी का संग्रह व विश्लेषण

- पद निरीक्षक सभी आंकलनों के प्राप्तांक निरीक्षण दल (RCT) को सौंपेंगे
- DEISPI के सॉफ्टवेयर व डेटाबेस के रख-रखाव हेतु प्रत्येक जिले में कंप्यूटर व सहायक उपकरणों से लैस संसाधन केंद्र नियुक्त किये जायेंगे
- त्रैमासिक आंकलन हेतु जानकारी के अभिलेखन का कार्य संसाधन केंद्र पर होगा
- डेटाबेस में जानकारी का भरना RCT के द्वारा या उनके निरीक्षण मे होगा
- विश्लेषण के परिणाम सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः उत्पन्न होंगे। यह जानकारी महत्त्वपूर्ण आयामों को निर्धारित करने में सहायक होगी, जैसे, शिक्षकों व छात्रों का वितरण, निम्न शैक्षिक गुणवत्ता के मुख्य बिंदु, विद्यालय का प्रदर्शन, शिक्षकों व छात्रों से विद्यालय की दूरी
- प्राप्त परिणाम का उपयोग / जानकारी देने व पक्ष का समर्थन हेतु होगा। निरीक्षण दल के सदस्य विभिन्न विद्यालयों व समूचे जिले के ध्यान देने योग्य व सुधार योग्य मुख्य बिंदुओं को सामने लाएंगे
- परिणामों के आधार पर निरीक्षण दल के सदस्य VEC/SMC को अपने सुझाव भेजेंगे
- निरीक्षण दल द्वारा वार्षिक जिलास्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएँगी जहाँ क्षेत्रीय शिक्षा विभाग व भाग लेने वाले विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तुत चुनौतियों व उनके समाधान पर चर्चा होंगी

संकलित जानकारी निम्न बिंदुओं के विश्लेषण में मदद करेगी:

- पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता
- अध्ययन के परिणाम
- छात्र के बौद्धिक कुशलता का विकास
- सुनने की कुशलता
- बोलने की कुशलता
- पठन व लेखन कुशलता
- समझने की कुशलता
- संख्यात्मक कुशलता
- छात्रों के सामाजिक व व्यवहारिक विकास की परख
- शिक्षकों व उनके / शैक्षिक विधि, विद्यालय संचालन की गुणवत्ता की परख
- विद्यालय का मूलभूत ढांचा/संरचना व उपलब्ध सुविधाएं
- SMC आदि के सहभागिता के बारे में जानकारी

निरीक्षण दल की भूमिका जानकारी के विश्लेषण व समुदाय के लोगों, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय संस्था व विद्यालय के प्राधिकारियों के साथ साझा करने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। प्राप्त जानकारियों व निष्कर्षों का मूल्यांकन क्षेत्र, संरचना, लिंग व सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से होगी ताकि **क्षेत्र-विशेष व दोष-विशेष योजनाओं** की चर्चा की जा सके।

क्षेत्र-विशेष योजनाओं को क्षेत्र/परितंत्र के विशेष लक्षणों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसमें संस्कृति, कार्य करने का वातावरण, मौसम, सामाजिक रवैया व दृष्टिकोण आदि बातों पर ध्यान दिया जाता है। क्षेत्र-विशेष योजना का उदाहरण जहाँ

SMC के लिए सुझावों की सूची तैयार की जाती है जोकि विद्यालय में प्रोत्साहनपूर्ण (संस्कृति के प्रति संवेदनशील) सीखने का वातावरण बनाने व शिक्षकों व छात्रों के बीच सदभाव कायम करने में मदद करता है।

दोष-विशेष योजना के अंतर्गत कुछ विशेषताओं व परिस्तिथियों का ध्यान रखा जाता है जोकि व्यक्तिगत होती हैं। इसे किसी भी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था पर लागू किया जा सकता है। दोष-विशेष योजना का उदहारण जहाँ विद्यालय प्रबंधन के लिए विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों (CWSN) के लिए सुविधाओं विकल्पों की कमी को सुधरने हेतु सुझावों की सूची का तैयार करना है।

दोनों ही प्रकार की योजनाएं एक-दुसरे से जुडी हुई हैं।

विशिष्ट आयाम के तहत डाटा उपयोग और वकालत में RCT द्वारा हस्तक्षेप के कुछ उदहारण

1. *भोगौलिक*
    - स्थिति - छात्र के दस्तावेज में छात्र के घर से विद्यालय की दूरी का उल्लेख किया जायेगा
    - अनुमान - विद्यालय से सबसे दूर रहने वाले छात्रों का सबसे ज़यादा अनुपस्थित रहना यह दर्शाता है की भोगौलिक परिस्थिति अच्छी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है
    - सुझाव - विद्यालय प्रबंधन को यातायात सुविधा का प्रबंध करने का सुझाव देना, जिला प्रशासन से कम दूरी पर अधिक विद्यालयों की स्थापना के लिए संपर्क करना

2. *सामाजिक-आर्थिक*
    - स्थिति - शिक्षकों के भिन्न संस्कृति, लिंग, बौद्धिक व शारीरिक भेद के प्रति असंवेदनशीलता के कारन छात्रों के कम अंक आना
    - अनुमान - शिक्षकों को छात्रों के प्रति सांस्कृतिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है; सरकार द्वारा निर्देश, व सेवा के दौरान पुनरभ्यास नहीं दिया गया है। यह सरकारी प्राधिकारियों के पास प्रशिक्षण देने के लिए निधि या रूचि के अभाव के कारण हो सकता है
    - सुझाव - DIET को शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करने के सुझाव देना

3. *बुनियादी ढांचा*
    - स्थिति - कक्षा की उपलब्धता व उसकी परिस्थिति, बिजली के सुविधाओं आदि में न्यूनतम अंक
    - अनुमान - विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के संचालन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में निष्फल है और क्षेत्रीय अधिकारियों से निधि के मांग के लिए ज़िम्मेदार ठहरा रही है
    - सुझाव - SMC द्वारा बजट के आधार पर विद्यालय के विकास योजनाओं की रचना व अमल करने लिए नियमित बैठकों का आयोजन करना अनिवार्य है

4. *लिंग*
    - स्थिति - छात्राओं व शिक्षिकाओं का कम नामांकन
    - अनुमान - छात्राओं व शिक्षिकाओं के लिए विद्यालय से घर की दूरी एक बाधक हो सकती है। इसका दूसरा कारण अभिभावकों का महिलाओं/कन्याओं के प्रति दृष्टिकोण भी सकता है जहाँ उनका घर में रहना व घरेलु काम करना ज़रूरी समझा जाता है ।
    - सुझाव - SMC/PTA में अभिभावकों को कन्या शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए चर्चाओं का आयोजन करें । शिक्षिकाओं के नियुक्ति के दौरान जिला/राज्य स्तरीय अधिकारीयों में लिंग के प्रति संवेदनशीलता।

संलग्नक

संक्षिप्त-पद शब्दकोष

- DEISPI – Dynamic (and decentralized) Education Information System for Planning and Improvement (योजना व विकास हेतु गतिशील (व विकेन्द्रित) शिक्षा सूचना तंत्र)
- TBHF – Tribal/Border/Hilly/Forested (जनजातीय/सीमान्त/पर्वतीय/वन्य)
- TLM – Teaching and Learning Method (शिक्षण व अध्ययन विधि)
- TLA – Teaching and Learning Aid (शिक्षण व अध्ययन सहायक साधन)
- BFM – Barefoot Monitor (पद-निरीक्षक)
- SC – Student Committee (छात्र समिति)
- RCT – Reading Challenge Team (निरीक्षण दल)
- VEC – Village Education Committee (ग्राम शिक्षा समिति)
- SMC – School Management Committee (विद्यालय प्रबंधन समिति)
- PTA – Parent Teacher Association (अभिभावक-शिक्षक संघ)
- SDA – Student Development Assessment (छात्र विकास आंकलन)
- CWSN – Children With Special Needs (विशेष ज़रुरतो वाले बच्चे)
- RTE – Right To Education (शिक्षा का अधिकार)
- NGO – Non Governmental Organization (गैर सरकारी संस्था)

छात्र का संपूर्ण निष्पादन का नमूना – DEISPI TOOL के द्वारा

		Scores
SECTION 1:	Basic Literacy Skills	7
SECTION 2:	Numeracy Skills	4
SECTION 3:	Cognitive Skills	6
SECTION 4(A):	Behavioural Development (Social and development skills)	4
SECTION 4(B):	Behavioural Development (Emotional maturity)	6
	Overall score:	5